भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 396
दिनांक 03 दिसंबर, 2025 / 12 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

ओडिशा में महिला सुरक्षा और साइबर जागरुकता के लिए योजना

396. श्रीमती सुलता देव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ओडिशा के शिक्षण संस्थानों और शहरी केंद्रों में महिलाओं की सुरक्षा और साइबर जागरुकता के लिए विशेष योजना शुरु करने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख) : भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' 'राज्य' के विषय हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध सहित अन्य अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जाँच और अभियोजन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। भारत सरकार वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण उपायों और परामर्श जारी करने के माध्यम से ओडिशा सरकार सहित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साइबर अपराध सहित अपराधो से प्रभावी ढंग से निपटने के प्रयासों का समर्थन और पूरक करती है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम/पहल निम्नलिखित हैं:-

i. आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली सभी आपात स्थितियों के लिए पूरे भारत में, एकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नंबर (112) आधारित प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें संकटग्रस्त कॉलर के स्थान की पहचान करने और संकट के स्थान पर जमीनी संसाधनों को भेजने की सुविधा के लिए स्थान-आधारित सेवा/ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस शामिल है।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 396, दिनांक 03/12/2025

ii. गृह मंत्रालय ने पुलिस स्टेशनों को अधिक सुलभ और महिला-हितैषी बनाने के उद्देश्य से देशभर के सभी पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क (Women Help Desks) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए परियोजना कार्यान्वित की हैं।

iii. गृह मंत्रालय महिलाओं के प्रति अपराधों और साइबर अपराध से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने हेतु समय-समय पर एडवाइजरी जारी करता हैं, जो www.mha.gov.in और https://i4c.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

iv. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2015 से महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, ताकि संकटग्रस्त या सहायता और सूचना चाहने वाली महिलाओं के लिए शॉर्ट कोड 181 के माध्यम से सुलभ टोल-फ्री दूरसंचार सेवा के माध्यम से 24 घंटे आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान की जा सके।

v. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है, ताकि जनता सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट कर सके, जिसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाओं को एफआईआर में परिवर्तित करना और उसके बाद की कार्रवाई संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

vi. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस के जांच अधिकारियों (iO) को प्रारंभिक चरण की साइबर फोरेंसिक सहायता प्रदान करने के लिए I4C के एक भाग के रूप में नई दिल्ली में अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (जांच)' की स्थापना की गई है।

vii. गृह मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (CCPWC) योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी क्षमता निर्माण, जैसे साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, कनिष्ठ साइबर सलाहकारों की भर्ती और कानून प्रवर्तन एजेंसिया (Law Enforcing Agencies) के कर्मियों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 396, दिनांक 03/12/2025

viii. आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के तहत उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा आईटी मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 'सहयोग' पोर्टल शुरू किया गया है ताकि किसी भी सूचना, डेटा या संचार (जिसका उपयोग किसी गैरकानूनी कार्य को करने के लिए किया जा रहा है) तक पहुंच को हटाया या अक्षम किया जा सके।

ix. I4C, गृह मंत्रालय नियमित रूप से सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, क्षमता निर्माण को बढ़ाने आदि के लिए 'राज्य कनेक्ट', 'थाना कनेक्ट' और सहकर्मी शिक्षण सत्र का आयोजन कर रहा है।

*****